संख्या–41/2022/1462 ई–2/तेरह–2022–139/2013–99077

प्रेषक,

राजवीर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग–2 लखनऊ::दिनांक 20 सितम्बर, 2022

विषयः–मे. मोहित पेट्रोकेमिकल्स प्रा. लि., नगीना रोड, जनपद बिजनौर की क्षमता वर्ष में 330 कार्यकारी दिवस से बढ़ाकर 350 कार्यकारी दिवस स्वीकृत करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 330 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 350 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याःजी–157/दो–प्रा.डी.–70/मोहित, दिनांक 03.02.2022 एवं पत्र संख्याःजी–204/दो.–प्रा.डी.–70/मोहित, दिनांक 22.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्रों द्वारा की गयी संस्तुति/आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित के दृष्टिगत मेसर्स मोहित पेट्रोकेमिकल्स प्रा. लि., नगीना रोड, जनपद बिजनौर की 100 कि.ली. प्रतिदिन अल्कोहल उत्पादन क्षमता को यथावत रखते हुए आसवनी को वर्ष में स्वीकृत कार्यकारी दिवस को 330 दिवस से बढ़ाकर 350 दिवस किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 330 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर पेय क्षमता को पूर्ववत रखते हुये 350 लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) आसवक/इकाई द्वारा भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विहित समस्त आवश्यक पर्यावरणीय तथा अन्य सांविधिक शर्तों का पालन किया जायेगा।

(2) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 28–11–2021 द्वारा निर्गत जल सहमति एवं कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 28–11–2021 द्वारा निर्गत वायु सहमति आदेश में उल्लिखित शर्तें।

(3) आसवक/इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(5) आसवनी के संबंध में विभाग द्वारा अल्कोहल छीजन के उक्त पॉच प्रकरणों में, जो एस. एल.पी. मा. सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गयी है, उसमें पारित निर्णय आसवक के लिए बाध्यकारी होगा।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।